राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक F-15(ग)/PD/DLB /DAY-NULM-SM&ID /16/ 1017 दिनांक 18.1.17

आदेश

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय व शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SM&ID घटक के तहत स्वय सहायता समूह (SHGs) गठन व उससे संबंधित गतिविधियों के लिए Resource Organisations (ROs) की सेवाएं लेने का प्रावधान है। निदेशालय द्वारा जारी EoI क्रमांक 12928 दिनांक 22.07.2016 द्वारा नगर निकायों में ROs का चयन किया जाना था। नगर निकायो से प्राप्त सूचना अनुसार पात्र ROs के आवेदन पत्रों के अभाव में अधिकतम नगर निकायो में ROs चयन का चयन नही हो सका है, जिससे नगर निकायो में DAY-NULM के SM&ID घटक का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। विभाग द्वारा पुनः EoI जारी करने पर भी पात्र ROs के चयन की संभावना कम है। अतः जिन नगर निकायो में ROs का चयन नही हुआ है, उन नगर निकायो को बगैर EoI जारी किये ही निम्नानुसार ROs के चयन हेतु अधिकृत किया जाता है :–

1. जिस RO का चयन वर्तमान में राज्य की किसी भी नगर निकाय द्वारा किया जा चुका है, ऐसे RO का उसकी (RO) सहमति से नगर निकायो द्वारा सीधे ही चयन कर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप मे अनुबध (MoU) किया जा सकता है। साथ ही संबंधित RO द्वारा RTPP Act & Rules के अनुरूप संबंधित नगर निकाय में परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा करानी होगी।
2. नगर निकायो द्वारा पात्र संस्थाओं/संगठनो (जो SJSRY, DAY-NULM, NABARD या राज्य/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य द्वारा पोषित अन्य विकास योजनाओं के कियान्वयन का अनुभव रखती है) को अपने स्तर पर चिन्हित कर निदेशालय द्वारा पूर्व में RO के चयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने वाली संस्थाओं से आवेदन पत्रों को सीधे ही (बिना EoI के) आमन्त्रित / स्वीकार कर, उनका चयन विभाग द्वारा पूर्व में निधारित जिला कलेक्टर द्वारा गठित चयन समिति की बैठक मे करावें। इस प्रकार से चयनित RO द्वारा भी RTPP Act & Rules के अनुरूप परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा करानी होगी तथा नगर निकायो द्वारा चयनित RO के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध (MoU) करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रत्येक नगर निकाय द्वारा नगर निकाय को आवटित लक्ष्यानुसार ROs का चयन किया जावें, सभी नगर निकायों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक नगर निकाय द्वारा न्यूनतम एक RO का चयन आवश्यक रूप से किया जावे तथा एक RO को न्यूनतम 50 SHGs का लक्ष्य आवश्यक रूप से आवंटित किया जावें।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक F-15(ग)/PD/DLB /DAY-NULM-SM&ID /16/ 1018–1249 दिनांक 18-1-17

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
3. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय, समस्त राजस्थान।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. प्रोग्रामर, निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(एस.आर. मीणा)
परियोजना निदेशक

E:\DAY-NULM\Letter.docx